न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 52/22(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/144

अनवान्

1. श्री हिरालाल पुत्र उंकारलाल जाति ब्राहमण निवासी बॉसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

..............प्रार्थीगण

वनाम

1. श्री उमेश पुत्र उंकारलाल जाति ब्राहमण निवासी बॉसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री भागवंती बाई पत्नी उंकारलाल जाति ब्राहमण निवासी बॉसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री लीला पुत्री उंकारलाल पत्नी जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी बॉसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

....................विपक्षीगण

उपस्थित– 1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री काशीराम मेघवाल, अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक:–19.03.2024

1. प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि मौजा बॉसडा पटवार हल्का बॉसडा भू अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (अ) की आराजी न. 1498, 1499, 1500, 1501, 1501, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517 किता 9 रकवा 0.4900 है. भूमि व परिशिष्ट (व) आराजी नम्बर 1451, 300, 302, 303, 304, 307, 380, 381 किता 8 रकवा 1.6100 है. भूमि व परिशिष्ट (स) आराजी नम्बर 383 कुल किता 1 रकबा 0.0500 हैक्टयर. भूमि है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का व अन्य खातेदार का हिस्से अनुसार नाम अंकित हैं।

2. यह कि परिशिष्ठ (अ) में अंकित आराजीयात के [illegible] 45 [illegible] हिस्से पर, परिशिष्ठ (ब) में अंकित आराजीयात के 1/4 हिस्से पर, परिशिष्ठ (स) में अंकित [illegible] राजी आ. चाह मे 1/135 हिस्से पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का अपने पिता [illegible] मरणोपरान्त हिस्से अ[illegible] संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 भूमि दलालों के बहकावें में आकर अब वेवजह प्रार्थी के हक अधिकारों को भारी चुनौती देने लग गया है एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 को भी अपने पक्ष में करने कि कोशिश करते हुये मौके पर प्रार्थी को एलानिया धमकी देते हुये कहा कि विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.08 13:17:22 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 अब प्रार्थी को संयुक्त रूप से काश्त नहीं करने देगा एवं आ. राह का उपयोग भी नहीं करने देगा एवं प्रार्थी को प्रार्थनाग्रस्त भूमि से जबरन शरीर के बल पर बेदखल कर देगा एवं भूमि को ऐसे लोगों के नाम पर दर्ज करवा देगा जो प्रार्थी का जीना हराम कर देगें। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 को समझाने कि बहुत कोशिश की परन्तु वह लालचवश भूमि दलालों के बहकावे में आकर किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है एवं येन-केन तरीके से प्रार्थी के हक अधिकारो को भारी नुकसान पहुंचाने पर उतारू है, जिससे प्रार्थी को अपने हक अधिकारों कि रक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। प्रार्थी अपने पक्ष में तथा विपक्षगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2, 3 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01, 02, 03 मौखिक बंटवाडे से अपने अपने हिस्से पर कब्जे काश्त है। कब्जेकाश्त की बात प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में स्वीकार की है और विपक्षी संख्या 02 व 03 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के बहकावे में आकर प्रार्थी के हक अधिकारों को कोई चुनौती नही दी है ना प्रार्थनाग्रस्त आराजी को लेकर कभी कोई वाद विवाद हुआ है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी मनमर्जी से गलत तथ्य अंकित करवाये है जबकि विपक्षी संख्या 02 एक वृद्ध विधवा महिला है व विपक्षी संख्या 03 प्रार्थी की बहन होकर अपने ससुराल में निवास करती है जिस पर जबरन शरीर के बल पर बेदखल कर देने को कोई सवाल ही नहीं उठता है और विपक्षी संख्या 02, 03 की आजीवीका का एकमात्र सहारा वादग्रस्त आराजी है विपक्षी संख्या 02 का प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 द्वारा भरण पोषण नहीं किया जाता है इसलिए प्रार्थनाग्रस्त आराजी पर विपक्षी संख्या 02 काश्त कर अपनी आजीविका चलाती है इसलिए प्रार्थनाग्रस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का सवाल ही नहीं पैदा होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.08 13:17:22 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामला :-** प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षीगण व अन्य खातेदारों की सामलाती खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी को बेदखल करने व अन्य लोगो को हस्तान्तरित किये

जाने की धमकिया दिये जाने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है। विपक्षीगण द्वारा मौके पर मौखिक बंटवारा होने एवं अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने व किसी प्रकार की दखलअंदाजी व हस्तान्तरित नही किये जाने का कथन कहा गया है। वर्तमान मे प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण व अन्य खातेदार की सामलाती भूमि होने से हर एक इंच पर हर एक खातेदार का अधिकार है। अगर प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी के हक हिस्से पर किसी प्रकार का जबरन कब्जा होता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणनीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सावित होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. **अपूर्णीय क्षति :–** प्रार्थनाग्रस्त भूमि सामलाती होने से हर एक इंच पर हर एक खातेदार का अधिकार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सावित होने से अपूरणीय क्षति का विन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **सुविधा संतुलन :–** प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के विन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त विन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में अविभाजीत कृषि भूमि होकर प्रार्थी व विपक्षीगण व अन्य खातेदार के मध्य सामलाती खातेदारी से दर्ज है जिससे प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर अगर किसी प्रकार का जबरन कब्जा व हस्तान्तरण होता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणनीय क्षति होगी जिससे विपक्षीगण को पाबंद किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के विन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बॉसडा पटवार हल्का बॉसडा भू अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078—81 की खाता संख्या नया 183 की परिशिष्ट (अ) की आराजी न. 1498, 1499, 1500, 1501, 1501, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517 किता 9 रकवा 0.4900 है. भूमि में व खाता संख्या Signature Not Verified की आराजी नम्बर 1451, 300, 302, 303, 304, 307, 380, 381 किता 8 रकवा 1.610 ... में व खाता संख्या नया 426 की परिशिष्ट (स) की आराजी नम्बर 383 कुल Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya ... भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 3 मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं Date: 2024.04.08 13:17:22 IST ... यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।